न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::: मांगेराम पूनियां, R.T.S.
मिसल नं. ::: 31/2018

सरकार बनाम रामरेश पुत्र धर्मपाल, जाति–कुम्हार, निवासी– बांजड़ोली

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक 12.03.2018

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल रामरेश पुत्र धर्मपाल, जाति–कुम्हार, निवासी– बांजड़ोली द्वारा रोही मौजा बांजड़ोली की राजकीय भूमि ख.नं. 72 कुल रकबा 0.32 है0 किस्म गै.मु. रास्ता में से रकबा 0.03 है0 भूमि पर फसल गेहूं काश्त कर पुनः अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया उसने किसी प्रकार को कोई अतिक्रमण नही कर रखा है। गैर सायल का जवाब संतोषजनक नही माना जा सकता। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 12 रू. कायम किया जाता है। राजकीय भूमि में बोई गई फसल को राजहक में कुर्की, जब्ती एवं नियमानुसार निलामी करने की आज्ञा दी जाती है। इस बाबत् गिरदावर हल्का को लिखा जावें। चूंकि प्रकरण पुनः अतिक्रमण का होने के कारण गैर सायल से गै.मु. रास्ते की भूमि पर भविष्य में किसी प्रकार का अतिक्रमण नही करने बाबत शपथ पत्र लिया गया।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी/ गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली एवं फसल निलामी हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० स० 4 के पृष्ठ सं.....10...........पर
वर्ष 2017-18....में रुपये..12/-....कायम कि.
राजस्व लेखाकार

(मांगेराम पूनिया)
तहसीलदार, सूरजगढ़